सं० ओ० वि०/एफ० डी०/75-87/46735.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कैपीटल रब्बड़ एण्ड प्लास्टिक वर्कस 12-ए, औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद न्यू टाऊन, के श्रमिक श्री राम अशीस मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन 2/7 गोपी कालोनी पुराना, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सबंधित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है :—

क्या श्री राम अशीष ने स्वयं गैरहाजिर हो कर नौकरी पर से लियन खोया है या उसकी सेवाएं समाप्त की गई है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ० डी०/75-87/46745.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कैपीटल रब्बड़ एण्ड प्लास्टिक वर्कस 22-ए, औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद न्यू टाऊन, के श्रमिक श्री धन पाल मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, 2/7 गोपी कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) क खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एव पचाट 3 मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री धन पाल ने स्वयं गैरहाजिर हो कर नौकरी पर से लियन खोया है या उसकी सेवाएं समाप्त की गई है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी०/75-87/46752.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० कैपीटल रब्बड़ एण्ड प्लास्टिक वर्कस 22-ए, औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद, न्यू टाऊन, के श्रमिक श्री आशा राम मार्फत फरीदाबाद कामागार यूनियन, 2/7 गोपी कालोनी, पुराना फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री आशा राम ने स्वयं गैरहाजिर हो कर नौकरी पर से लियन खोया है या उसकी सेवाएं समाप्त की गई है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?